to project to the other people in the country that we are responsible representatives of the people.

डा० राम मनोहर लोहिया : क्या श्री त्यागी के लिये कहा जा रहा है ।

ग्रध्यक्ष महोदय : मैं ने ग्राप के लिये पहले कहा, उन के लिये बाद में ।

भारतीय भाषाग्रों की लिपि के रूप में देवनागरी

\+

*528. { **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा **करेंगे कि :**

(क) क्या यह सच है कि कुछ वर्ष पहले भारत के विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में यह राय **जाहिर की गई थी कि देवनागरी को सभी भारतीय भाषाग्रों की लिपि के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिये ; ग्रौर**

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्य **सरकारों द्वारा** उक्त निर्णय की क्रियान्वित **करानें के लिये भारत सरकार ने ग्रब तक क्या कदम** उठाये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) ग्रौर (ख). एक विवरण **सदन के सभा-पटल पर रख दिया है ।**

विवरण

(क) मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन (1961) का विचार था कि एक सामान्य लिपि का होना विभिन्न भारतीय भाषाग्रों के बीच एक मजबूत कड़ी होगी ग्रौर मौजूदा हालत में देवनागरी ही इस प्रकार की सामान्य लिपि हो सकती है । सम्मेलन ने यह निर्णय किया कि यद्यपि निकट भविष्य में एक सामान्य लिपि के ग्रपनाने में कठिनाइयां हो सकती हैं, इस उद्देश्य को ध्यान में रखना चाहिये ग्रौर इसके लिये प्रयत्न होना चाहिये ।

(ख) देश के सभी भागों में हिन्दी को देवनागरी लिपि में एक विषय के तौर पर पढ़ाया जा रहा है ग्रौर ग्राशा है कि कुछ समय पश्चात देश के सभी शिक्षित व्यक्ति देवनागरी लिपि को समझने लगेंगे । ग्रन्य भाषाग्रों को लिखने के लिये देवनागरी के प्रयोग को एक सामान्य सहायक लिपि के रूप में बढ़ाने के लिये साहित्य ग्रकादमी ने विभिन्न भारतीय भाषाग्रों की चुनी हुई पुस्तकों को देवनागरी लिपि में छपवाने की एक योजना चालू की है । शिक्षा मंत्रालय द्वारा भी प्रादेशिक भाषाग्रों में द्विभाषी पुस्तकों के प्रकाशन का प्रबन्ध किया जा रहा है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में सर्वसम्मति से यह निर्णय हुग्रा था कि देवनागरी को सभी भाषाग्रों के लिये वैकल्पिक लिपि बनाया जाय । तब फिर यह राज्य सरकारों को क्यों भेजा जाय, क्योंकि जब राज्य सरकारों के प्रतिनिधि वहां पर थे तो इसका मतलब यह था कि सब राज्य सरकारें उससे सहमत थीं । फिर इस प्रश्न पर निर्णय न लेने का क्या कारण है कि भारत सरकार स्वयं ही ग्रपना मन नहीं बना पाई है ग्रौर इसलिए इस प्रश्न को टाला जा रहा है ।

श्री ल० ना० मिश्र : फैसला तो हो चुका है ग्रौर राज्य सरकारों को लिखा भी गया है, ग्रौर हम भी प्रयास कर रहे हैं इस दिशा में । लेकिन इसको किसी के ऊपर लादा जाना ग्रच्छा नहीं होगा । हम मानते हैं कि इसको बढ़ावा दिया जाये ग्रौर इसकी ग्रोर प्रयत्न किया जा रहा है ।

ग्रध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का मतलब यह था कि चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई तो वे स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते थे ग्रौर उसमें उनकी राय ले ली गई । उनकी यह राय थी, इसका मतलब यह था कि

वह इस बात से सहमत थे । फिर उसके बाद राज्य सरकारों को कंसल्ट करने की जरूरत नहीं थी ।

Shri Ranga: How could it be taken . . .

Mr. Speaker: I am only translating the question; I am not putting anything myself. I will translate the answer also.

Shri Ranga: I thought you were making an observation.

अध्यक्ष महोदय : श्री शास्त्री स्वयं अपना सवाल कर लें, मैं कुछ नहीं कहता ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : जो बात आप कह रहे हैं वह बिल्कुल ठीक है ।

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में जो फैसला हुआ था या जो कुछ कहा गया उसका तो मतलब यही था कि यह एक अच्छी चीज है, लेकिन फौरन सब जगह ऐसा हो जाये, ऐसा नहीं हो सकता है । हम इसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं । इतना ही उनका कहना था । उनका यह मतलब नहीं था कि फौरन सब जगह हो जाये ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि मैंने प्रश्न किया लेकिन मेरे प्रश्न को टाला जा रहा है या फिर सरकार मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाहती । मेरा प्रश्न यह है कि जब सभी राज्यों के मुख्य मंत्री वहां पर अपने राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और उन्होंने मिल कर निर्णय किया तो इसका मतलब यह था कि राज्य सरकारों की सहमति थी । फिर इस प्रश्न पर निर्णय न लेने का कारण क्या था, क्या भारत सरकार के मन में ही कोई दुर्बलता है जिसके कारण इस प्रश्न को टाला जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं मंत्री महोदय का जवाब भी आपको बतला देता हूं । उनका कहना है कि इस का फैसला होने के बाद भी यह काम स्टेट गवर्नमेंट्स को ही करना है उनको ही इसे चलाना है । इस वास्ते उन से फिर कहा गया है । एकदम से ऐसा हो जायेगा यह फैसला नहीं था । उनका फैसला था कि ऐसा करना चाहिये । इसको कब किया जायेगा उन राज्यों पर निर्भर करता है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : सरकार का यह उत्तर सन्तोषजनक नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : अब आप दूसरा प्रश्न कर लीजिये ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अभी हमारे शिक्षा मंत्री जी ने इस सदन में और इस सदन के बाहर एक बात के सम्बन्ध में शिकायत की कि जो थ्री लैंग्वेज फार्मूला है वह दक्षिण भारत में और अहिन्दी भाषी राज्यों में तो चल रहा है जब कि हिन्दी भाषी राज्यों में उतनी तीव्रता से उसे नहीं पढ़ाया जा रहा है जितनी तीव्रता के साथ पढ़ाया जाना चाहिये था । क्या मैं जान सकता हूं कि इसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि भारतीय भाषाओं के साहित्य की शिक्षा उस वैकल्पिक लिपि के माध्यम से, जिसकी मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में घोषणा हो चुकी है, थ्री लैंग्वेज फार्मूला आसानी से लागू हो सकता है ।

श्री नन्दा : यह विचार करने की बात है ।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : मैं समझता हूं कि गृह मंत्री जी को पूरी तरह से यह मालूम है कि भूतपूर्व राष्ट्रपति माननीय डा० राजेन्द्र प्रसाद जी ने अपने अनेकों भाषणों में यह कहा था कि भारतवर्ष की सभी प्रान्तीय भाषाओं की लिपि भी देवनागरी हो जानी चाहिये । तो क्या भारत सरकार इस पर आचरण करेगी ।

श्री नन्दा : वही प्रयास हो रहा है ।

Shri Hanumanthaiya: Will the hon. Minister be pleased to state the year when the Chief Ministers' Conference was held, whether all the Chief Ministers were present at that conference, and whether it was held in South India or in North India?

Shri L. N. Mishra: It was held in 1961, and most of the Chief Ministers were present.

Shri Hanumanthaiya: I want to know who the Chief Ministers were who were not present.

Shri L. N. Mishra: I cannot give the names, but most of the Chief Ministers were present including those of the Southern States.

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को यह बात मालूम है कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय में हिन्दी भी रोमन लिपि में पढ़ाई जा रही है। यदि हां, तो इस का क्या कारण है।

श्री ल० ना० मिश्र : जी हां, वहां ऐसी बात है । उन्होंने एक्स्पेरिमेंटल बेसिस पर हिन्दी के लिये रोमन लिपि चलाई है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : यह संविधान के विरुद्ध है ।

Shri Raghunath Singh: It is against the Constitution. We shall take it up.

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं जानना चाहता हूं कि यह जो देवनागरी की सिफारिश की बात कही गई है चीफ मिनिस्टर्स कांफरेंस के सम्बन्ध में तो यह किसी एक्स्पर्ट कमेटी के सजेशन के मुताबिक हुआ है या कि किसी प्रदेश के या सेंटर के मिनिस्टर ने मनमाने ढंग से इस सिफारिश को लागू करवाया है ।

श्री ल० ना० मिश्र : मनमाने ढंग से नहीं रखा गया है सब की राय ले कर रखा गया है और हिन्दुस्तान की एकता को बढ़ाने के लिये जरूरी है कि सारे देश में एक स्क्रिप्ट हो जाये ।

Some Hon. Members *rose*—

Mr. Speaker: I am sorry I shall not be able to accommodate twenty-five or thirty Members. I can only call four or five Members more.

Shri Hari Vishnu Kamath: Let us have a two-hour discussion on this.

Shri Jaipal Singh: Do Government realise that there is one article in the Constitution under which minority languages have the right to retain their own script? If it is the view of Government, whether at the Centre or in the States, that they shall have Devanagari alone, then does that not necessarily mean that the Constitution will have to be amended?

Shri L. N. Mishra: Devanagori is not at the cost of the scripts of the other languages. So, there is no question of any clash with the other scripts.

Dr. Sarojini Mahishi: May I know whether Government intend to take action on the opinions expressed by the different Chief Ministers of the States or would like to appoint a committee of experts in phonetics and linguistics of such of the languages as have got age-old scripts and literature?

Shri L. N. Mishra: No.

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि अलीगढ़ युनिवर्सिटी में हिन्दी शिक्षा रोमन लिपि में दी जा रही है तो क्या गवर्नमेंट की यह पालिसी है कि हिन्दी की शिक्षा सेंट्रल युनिवर्सिटीज में रोमन लिपि में दी जाये जब कि कांस्टिट्यशन में यह है कि हिन्दी की शिक्षा देवनागरी स्क्रिप्ट में होगी ।

अध्यक्ष महोदय : अभी पिछले दिन जब यह प्रश्न आया था तब इसके बारे में कहा गया था ।

Shri Raghunath Singh: Why should it be against the Constitution

श्री नन्दा : इस में किसी खास पालिसी की बात नहीं आती है, हम खुद भी समझते हैं कि इस को अच्छी चीज़ नहीं समझा जा सकता ।

Shri Raghunath Singh: Why should this be against the Constitution?

अध्यक्ष महोदय : श्री चागला ने उस दिन सारी बात को अपनी स्पीच में समझा दिया था ।

श्री रघुनाथ सिंह : श्री चागला ने अपनी स्पीच में कहा था जो पन्द्रह आदमी वहां पर हिन्दी पढ़ने वाले हैं उन को रोमन स्क्रिप्ट में शिक्षा दी जायेगी । यह नहीं कहा था कि हिन्दी की शिक्षा रोमन स्क्रिप्ट में दी जायेगी ।

अध्यक्ष महोदय : अब तो उन्होंने कह दिया ।

Shri Raghunath Singh: It is against the Constitution.

Shri Nambiar: May I know whether Government are aware that the people in the south do not want their scripts to be changed or to be given a second-rate importance or to be ignored as a result of the bringing in of the Devanagari script in their place?

Shri Nanda: There is no question of compulsion anywhere.

Shri Ranga: What is the answer of the hon. Minister? I have not been able to hear. Let him stand and then give the answer.

Shri Nanda: I said that there was no question of compulsion anywhere.

Mr. Speaker: He did stand up and then gave his answer.

Shri Ranga: If he has stood, then does it mean that there is something wrong with my sight? I did not see him standing. He just mumbled some reply from his seat.

Shri Nambiar: My question was whether the scripts in the south would get a second-rate importance?

Mr. Speaker: The hon. Minister has said that there is no compulsion.

Shri Nambiar: Why should it all be introduced?

Shri Surendranath Dwivedy: This decision was taken in 1961. May I know whether any State Government, whether of a Hindi-speaking or of a non-Hindi-speaking State, has adopted this as the common script?

Shri L. N. Mishra: Hindi in Devanagri script is being taught to students in all parts of the country. For example, in Madras, efforts are being made in this direction. Under the scheme, Hindi that is Devanagri-Tamil primer has already been brought out there.

Shri P. C. Borooah: In view of the paramount importance of having a common script for integration of the whole country, have Government any proposal for popularising Sanskrit in Devanagri which is a subject very suitable and favourable to all regions?

Shri L. N. Mishra: Sanskrit is in Devanagri. That is one of the main points behind this argument about Devanagri.

Shri Kapur Singh: Are the Government properly advised that all the Chief Ministers and the States of India, combined, are not to be deemed as competent or qualified to pronounce on the subject of scripts and languages, and further, that opinion is not the same thing as decision?

Shri L. N. Mishra: There is no doubt that there is a provision in the Constitution and it is for the Government to implement it. We are only going to implement the provisions of the Constitution.

Shri Kapur Singh: I did not raise the question of provisions of the Constitution. I raised the question as to what was competent from the

point of view of the expertise. He is mixing the two things.

Shri Ranga: He himself is not competent to answer it.

Shri Nanda: The answer is very simple: opinion is not decision.

Shri Kapur Singh: Will he kindly answer the first part of my question also?

श्री राधेलाल व्यास : क्या यह सही है कि सारे भारत में संस्कृत भाषा जो पढ़ाई जाती है वह देवनागरी स्क्रिप्ट में पढ़ाई जाती है, साउथ में भी संस्कृत देवनागरी लिपि में पढ़ाई जाती है ग्रौर बंगाल में भी देवनागरी लिपि में पढ़ाई जाती है ग्रौर ग्रलावा देवनागरी के क्या कोई ग्रौर भी ऐसी स्क्रिप्ट है जोकि सारे भारत में पढ़ाई जाती है ?

एक माननीय सदस्य : सारे भारत में नहीं पढ़ाई जाती है ।

ग्रध्यक्ष महोदय : देवनागरी स्क्रिप्ट में ही पढ़ाई जाय संस्कृत यहां यह तो सवाल नहीं है ।

Shrimati Yashoda Reddy: The Constitution is certainly there. But it has also to yield sometimes to the pressure of the people. I would like to ask the Government of India, the Minister concerned, wh ther they want to implement the Devanagri script for all the regional languages and then see that even the regional languages do not develop in their own way?

Some Hon. Members: No, no.

Shrimati Yashoda Reddy: Are the Government of India not prepared to allow us to learn Hindi in our own way, whether it is in Roman script or otherwise? Is it to be only in Devanagri script?

Shri Nanda: I have already answered that there is no question of compelling anbody to follow a certain course.

Shrimati Yashoda Reddy: Then why this frequent reference to the Constitution?

Shri Radhelal Vyas: The Constitution is there.

Shri Vidya Charan Shukla: After this decision was taken....

Shri Ranga: What decision was taken?

Shri Vidya Charan Shukla:....have any States taken any steps towards its implementation?

Shri L. N. Mishra: As I said earlier, the Government of India have taken various steps for promoting the spread of Devanagri and its use as a common ancillary script. Arrangements have been made for teaching Hindi in Devanagri script to all secondary schools boys and girls throughout the country. As a result of this, it is expected that within the next generation, practically all educated young men in India will become conversant with the Devanagri script in addition to the script commonly used in their own region.

सन्थानम समिति का प्रतिवेदन

\+
*529. **श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री यू० सिं० चौधरी :

क्या गृह-कार्य मंत्री 23 सितम्बर 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 350 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन्थानम समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति में ग्रब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) ग्रभी किन सिफारिशों पर निर्णय करना शेष है; ग्रौर

(ग) सभी सिफारिशों पर कब तक निर्णय कर लिया जायेगा ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a)